(GI-2)

DATE: 20.07.2019 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.

Answer 1: (ATTEMPT ANY 30 QUESTIONS)

1. Ans. d
2. Ans. d
3. Ans. d
4. Ans. b
5. Ans. c
6. Ans. a
7. Ans. b
8. Ans. c
9. Ans. c
10. Ans. d
11. Ans. c
12. Ans. a
13. Ans. b
14. Ans. d
15. Ans. b
16. Ans. c
17. Ans. c
18. Ans. a
19. Ans. d
20. Ans. a
21. Ans. a
22. Ans. c
23. Ans. d
24. Ans. d
25. Ans. d
26. Ans. c
27. Ans. d
28. Ans. c
29. Ans. a
30. Ans. c
31. Ans. b
32. Ans. c
33. Ans. b
34. Ans. a
35. Ans. b
36. Ans. a

[Any 30 Points, Each 1 Mark x 30 = 30 Marks}

Answer 2:

(a) कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) स्वैच्छिक रूप से किसी भी प्रकार की कंपनी में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक कि दो साल निगमन की तारीख से समाप्त न हो जाए, सिवाय इसके कि भुगतान की गई शेयर पूंजी कहां है पचास लाख रुपये से अधिक या संबंधित अवधि के दौरान इसका औसत वार्षिक कारोबार दो करोड़ रुपये से अधिक है। **{3 M}**

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी वर्ग की कंपनी अध्याय के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के ज्ञापन और लेखों में परिवर्तन करके इस अधिनियम के तहत अन्य वर्ग की कंपनी के रूप में खुद को परिवर्तित कर सकती है। अधिनियम का II.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित दिए गए परिस्थितियों के उत्तर हैं:

(i) यदि प्रवर्तक कंपनी की भुगतान की गई पूंजी को रुपये से बढ़ाते हैं। 2017–2018 के दौरान 10.00 लाख यानी, रुपये 55 लाख (45 + 10 = 55), 'न्यू'(ओपीसी) 50 लाख रुपये से अधिक की भुगतान शेयर पूंजी में वृद्धि के कारण स्वेच्छा से किसी अन्य प्रकार की कंपनी में बदल सकती है। यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के ज्ञापन और लेखों के परिवर्तन द्वारा 'न्यू' द्वारा किया जा सकता है। **{1 M}**

(ii) यदि 2017–18 के दौरान) 'नई' का टर्नओवर रुपये 3.00 करोड़, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह न्यूनतम टर्नओवर की आवश्यकता को पूरा करता है, अर्थात, रुपये किसी अन्य प्रकार की कंपनी में दल 'न्यू' (OPC) के स्वैच्छिक रूप से रूपांतरण के लिए 2 करोड़। **{1 M}**

Answer:

(b) कंपनियों (प्रॉस्पेक्टस और सिक्योरिटीज के आवंटन) नियमों के तहत, 2014 में भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली सहमति की दर शेयरों के जारी किए जाने वाले मूल्य के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक नहीं होगी। या लेख द्वारा अधिकृत दर, जो भी कम हो। **{$2^{1/2}$ M}**

दी गई समस्या में, एक्स लिमिटेड के लेखों ने 4% अंडरराइटिंग कमीशन निर्धारित किया है, लेकिन निदेशकों ने 5% अंडरराइटिंग कमीशन का भुगतान करने का निर्णय लिया। **{$1^{1/2}$ M}**

इसलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अंडरराइटर्स को 5% कमीशन देने का फैसला अमान्य है। **{1 M}**

Answer:

(c) एक एजेंट के पास अधिकार है, आपात स्थिति में, अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से ऐसे सभी कार्य करना, जैसा कि सामान्य विवेक के व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के मामले में, समान परिस्थितियों में किया जाएगा। किसी आपात स्थिति में एक वैध एजेंसी का गठन करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। **{1 M}**

(i) एजेंट को किसी पद पर नहीं होना चाहिए या उपलब्ध समय के भीतर अपने प्रमुख के साथ संवाद करने का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। **{1 M}**

(ii) अभिकर्ता को शीघ्रता से कार्य करने के लिए वास्तविक और निश्चित व्यावसायिक आवश्यकता होनी चाहिए। **{1/2 M}**

(iii) एजेंट को सदविश्वास और प्रिंसीपल के लाभ के लिए काम करना चाहिए था। **{1/2 M}**

(iv) एजेंट को परिस्थितियों के तहत सबसे उचित और व्यावहारिक पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए था, और **{1/2 M}**

(v) एजेंट अपने प्रिंसिपल के सामान के कब्जे में रहा होगा और जो कार्य का विषय हो। **{1/2 M}**

Answer 3:

(a) शेल्फ प्रॉस्पेक्टस – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अभिव्यक्ति ''शेल्फ प्रॉस्पेक्टस'' का अर्थ एक ऐसी प्रॉस्पेक्टस है जिसके संबंध में प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के वर्ग को शामिल किया गया है जो एक अवधि के लिए जारी किए जायेगें तथा एक और अधिक प्रॉस्पेक्टस के जारी किये बिना एक निश्चित अवधि में। **{1 M}**

शेल्फ–प्रॉस्पेक्टस जारी करने से संबंधित प्रावधानः

(1) रजिस्ट्रार के साथ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल करनाः धारा 31 के अनुसार, किसी भी वर्ग या कंपनियों की कक्षाएं, जैसा कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस संबंध में नियमों द्वारा प्रदान कर सकता है, स्टेज पर रजिस्ट्रार के साथ एक शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर सकता है–

(i) इसमें शामिल प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव के (i) में ऐसी अवधि की अवधि के रूप में एक वर्ष से अधिक नहीं होने का संकेत होगा, जो उस प्रोस्पेक्टस के तहत प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव के खुलने की तारीख से शुरू होगी, और **{2 M}**

(ii) उस प्रोस्पेक्टस की वैधता की अवधि के दौरान जारी किए गए इस तरह के प्रतिभूतियों के दूसरे या बाद के प्रस्ताव के संबंध में, आगे प्रॉस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं है।

(2) शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के साथ सूचना ज्ञापन दाखिल करनाः शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने वाली कंपनी को एक सूचना ज्ञापन दाखिल करना होगा जिसमें नए चार्ज से संबंधित सभी सामग्री तथ्यों से संबंधित कंपनी के वित्तीय स्थिति में बदलाव, जैसा कि पहले हुआ है। प्रतिभूतियों की पेशकश या प्रतिभूतियों के पिछले प्रस्ताव और प्रतिभूतियों के सफल प्रस्ताव और इस तरह के अन्य परिवर्तन, निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार के साथ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के तहत प्रतिभूतियों के दूसरे या बाद की पेशकश के मुद्दे से पहले निर्धारित किए जा सकते हैंः **{1 M}**

(3) परिवर्तनों की सूचनाः बशर्ते कि किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हों, साथ ही इस तरह के किसी भी बदलाव से पहले सदस्यता के अग्रिम भुगतान के साथ, कंपनी या अन्य व्यक्ति ऐसे आवेदकों को बदलाव के बारे में सूचित करेंगे। और यदि वे अपना आवेदन वापस लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो कंपनी या अन्य व्यक्ति पंद्रह दिनों के भीतर सदस्यता के रूप में प्राप्त सभी धन वापस कर देंगे। **{1 M}**

शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के साथ ज्ञापन को एक प्रॉस्पेक्टस माना जाएगाः जहां एक सूचना ज्ञापन दायर किया जाता है, हर बार प्रतिभूतियों की पेशकश उप–धारा (2) के तहत की जाती है, इस तरह के मेमोरेंडम को शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के साथ माना जाएगा। प्रोस्पेक्टस।

Answer:

(b) पसीना इक्विटी शेयरों का अर्थः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(88) उन इक्विटी शेयरों के रूप में ''पसीना इक्विटी शेयरों'' को परिभाषित करती है, जो एक कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर या नकदी के अलावा अन्य विचार के लिए जारी किए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धन की प्रकृति में, जो भी नाम कहा जाता है, उनकी जानकारी प्रदान करना या उपलब्ध कराना। स्वेट इक्विटी शेयरों के जारी होने से पहले पूरी की जाने वाली शर्तेंः धारा 53 में निहित कुछ भी नहीं समझती (छूट पर शेयरों के निर्गम के लिए प्रदान करना), एक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 54 के तहत हो सकती है यदि निम्न स्थितियां हैं तो इक्विटी शेयर जारी करें। पूराः **{1 M}**

1. जो शेयर जारी किए जा रहे हैं, वे उन शेयरों के एक वर्ग के हैं जो पहले ही जारी किए जा चुके हैं। **{1/2 M}**
2. इस मुद्दे को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। **{1 M}**
3. संकल्प में शेयरों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, विचार, यदि कोई हो और निदेशकों या कर्मचारियों के वर्ग या वर्ग जिनके पास इस तरह के शेयर जारी किए जाने हैं, निर्दिष्ट करने चाहिए। **{1 M}**
4. ऐसे मुद्दे की तारीख में एक साल से कम समय नहीं बीता है, जिस दिन से कंपनी ने कारोबार शुरू किया था। **{1/2 M}**
5. जहां कंपनी के इक्विटी शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं, वहीं पसीना इक्विटी शेयर इस संबंध में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किए जाते हैं और यदि वे सूचीबद्ध नहीं हैं, तो पसीना इक्विटी शेयर ऐसे नियमों के अनुसार जारी किए जाते हैं जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। धारा 54 (2) के तहत इक्विटी शेयरों पर लागू होने वाले समय के अधिकार, सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान इस खंड के तहत जारी किए गए पसीने वाले इक्विटी शेयरों पर लागू होंगे और ऐसे शेयरों के धारक अन्य इक्विटी शेयरधारकों के साथ पैरी पासु रैंक करेंगे। । **{1 M}**

Answer:

(c) एम को नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि वह निर्धारित समय के भीतर छाता वापस करने में विफल रहा है **{2 M}**
और धारा 161 स्पष्ट रूप से कहती है कि जहां एक सहमत समय के भीतर माल वापस करने में विफल रहता है, वह किसी भी नुकसान के लिए जमानत के लिए जिम्मेदार होगा उस समय से माल को नष्ट या खराब करना, उसकी ओर से उचित देखभाल के अभ्यास के बावजूद। **{2 M}**

Answer 4:

(a) जनता से जमा की स्वीकृतिः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 76 के अनुसार, एक सार्वजनिक कंपनी, जिसकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है या 500 करोड़ रुपये से कम का कारोबार नहीं है, अन्य व्यक्तियों से जमा स्वीकार कर सकती है। इसके सदस्य धारा 73 की उप–धारा (2) में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, केंद्र सरकार जैसे नियमों के अधीन हो सकते हैं। **{1 M}**

बशर्ते कि इस तरह की कंपनी को किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, उस समय के लिए कंपनी को दी गई रेटिंग के बारे में बताने के लिए किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग प्राप्त करना आवश्यक है (इसके निवल मूल्य, तरलता और नियत तारीख पर अपनी जमा राशि का भुगतान करने की क्षमता सहित)। जनता से जमा का आमंत्रण जो पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है और जमा के कार्यकाल के दौरान हर साल रेटिंग प्राप्त की जाएगी। **{2 M}**

बशर्ते कि जनता से सुरक्षित जमा स्वीकार करने वाली प्रत्येक कंपनी इस तरह की स्वीकृति के तीस दिनों के भीतर जमा राशि के पक्ष में स्वीकार किए गए जमा राशि से कम नहीं हो, ऐसे नियमों के अनुसार अपनी संपत्ति पर एक शुल्क बनाएँ। निर्धारित। **{1 M}**

चूंकि, आशीष लिमिटेड की कुल संपत्ति रुपये 80 करोड़ रुपए और टर्नओवर रुपये 30 करोड़, जो निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए, यह अपने सदस्यों के अलावा अन्य जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। यदि कंपनी अपने सदस्यों के अलावा अन्य लोगों से जमा स्वीकार करना चाहती है, तो उसे निवल मूल्य या टर्नओवर या दोनों की पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा और फिर अन्य शर्तों को जैसा कि ऊपर कहा गया है। **{1 M}**

Answer:

(b) कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा पेजत३, पंजीयक को शक्तियां प्रदान करने के लिए संतुष्टि प्रदान करती है और उन आरोपों को जारी करती है, जहां कंपनी की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।

(i) रजिस्ट्रार किसी भी पंजीकृत प्रभार के संबंध में उसकी संतुष्टि के लिए दिए जा रहे सबूतों पर–

(a) कि जिस ऋण के लिए प्रभार दिया गया था उसका भुगतान या पूरी या आंशिक रूप से संतुष्ट किया गया है या

(b) उस संपत्ति का हिस्सा या चार्ज किया गया है जो प्रभार से जारी किया गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा बनने के लिए बंद हो गया है, **{3 M}**

– शुल्क के रजिस्टर में पूरे या आंशिक रूप से, या इस तथ्य का एक ज्ञापन दर्ज करें कि संपत्ति का हिस्सा या उपक्रम चार्ज से जारी किया गया है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा बनना बंद हो गया है, जैसा कि मामला है हो सकता है कि इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।

(ii) पंजीयक धारा 81 (1) के तहत रखे गए आरोपों के रजिस्टर में प्रविष्टि करने के तीस दिनों के भीतर प्रभावित पक्षों को सूचित करेगा।

कंपनी (चार्ज का पंजीकरण) नियम, 2014 के अनुसार प्रभार की संतुष्टि के संबंध में–

(1) एक कंपनी पंजीकृत शुल्क से पूर्ण भुगतान या संतुष्टि की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को उसी की सूचना देगी। **{2 M}**

(2) जहां कुलसचिव 82 या 83 के अनुसरण में पूर्ण रूप से प्रभारी संतोष का ज्ञापन दर्ज करता है, वह प्रभार की संतुष्टि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

Answer:

(c) नाबालिग को समझौता योग्य उपकरण के लिए एक पक्ष होने के नातेः अनुबंध करने के लिए सक्षम प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक (धारा 26, पैरा 1, परक्राम्य) बनाने, ड्राइंग, स्वीकार करने, समर्थन करने और बातचीत करने के द्वारा दायित्व उठाने की क्षमता है। साधन अधिनियम, 1881)। जैसा कि एक नाबालिग का समझौता शून्य है, वह एक समझौता उपकरण के लिए एक पार्टी बनकर खुद को बांध नहीं सकता है। लेकिन वह ऐसे उपकरणों को आकर्षित, समर्थन, वितरण और बातचीत कर सकता है ताकि खुद को छोड़कर सभी दलों को बाँध सके (धारा 26, पैरा 2)। **{2 M}**

[ऊपर बताई गई धारा 26 के प्रावधानों के मद्देनजर, एक्स और एम द्वारा निष्पादित वचन पत्र वैध है, जबकि एक नाबालिग इसके लिए एक पक्ष है।**][1 M] [**एम, नाबालिग होना उत्तरदायी नहीं है लेकिन दायित्व से एक्स को मुक्ति नहीं मिलेगी।**] [1 M]**

Answer 5:

(a) (i) साधारण व्यवसाय (धारा 102 (2)), : कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार धारा 102 (2) में निहित है, केवल सामान्य व्यवसाय को एजीएम में सम्पादित किया जा सकता है और निम्नलिखित में शामिल हैं व्यापारः **{3 M}**

(a) वित्तीय विवरणों पर विचार और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
(b) लाभांश की घोषणा।
(c) सेवानिवृत्त होने के स्थान पर निदेशकों की नियुक्तिय तथा
(c) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

(ii) विशेष व्यवसायः वार्षिक आम बैठक में या सदस्यों की किसी अन्य बैठक में लेन–देन किए गए किसी अन्य व्यवसाय को विशेष व्यवसाय माना जाएगा। **{1 M}**

साधारण व्यवसाय को साधारण प्रस्ताव द्वारा पारित किया जा सकता है। हालाँकि, विशेष अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के आधार पर, साधारण प्रस्ताव या विशेष प्रस्ताव को पारित करके सम्पादित किया जा सकता है। **{1 M}**

Answer

(b) एक प्रॉक्सी एक शेयरधारक द्वारा लिखित बैठक में शामिल होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को एक बैठक में भाग लेने और उसकी ओर से और उसकी अनुपस्थिति में वोट देने के लिए अधिकृत करने वाला एक उपकरण है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (1) के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जो भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का वैधानिक अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, एक बैठक से पहले 48 घंटे से अधिक कंपनी के साथ प्रॉक्सी के साधन की आवश्यकता वाले कंपनी के संघ के लेखों में किसी भी प्रावधान का प्रभाव होगा जैसे कि 48 घंटे उसमें निर्दिष्ट किया गया था। प्रॉक्सी के वोट देने से पहले सदस्यों को स्वयं मतदान करके प्राधिकार के अधिकार को रद्द करने का अधिकार है, लेकिन एक बार छद्म मत देने के बाद सदस्य अपने अधिकार को वापस नहीं ले सकता। **{2 M}**

[जहां एक ही शेयरधारक द्वारा दो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट को दर्ज करने के लिए समय समाप्त होने से पहले समान वोटों के संबंध में दर्ज किया जाता है, वहां समीपवर्ती, दूसरे समय में गिना जाएगा और जहां एक को पहले दर्ज किया गया है और दूसरे को समाप्ति के बाद भविष्यवाणियों को दर्ज करने के लिए निश्चित की गई तारीख, पूर्व की गणना की जाएगी।**] [1 M] [**इस प्रकार सदस्य ए के मामले में, प्रॉक्सी क्यू (और प्रॉक्सी पी नहीं) को उसकी ओर से मतदान करने की अनुमति होगी।**] [1 M] [**हालांकि, सदस्य बी के मामले में, प्रॉक्सी आर (और प्रॉक्सी नहीं) को मतदान करने की अनुमति होगी क्योंकि एस को वोट देने के लिए प्राधिकृत करने वाले को बैठक से पहले 48 घंटे से कम समय में जमा किया गया था।**] [1 M]**

Answer:

(c) व्यक्ति को धारक के रूप में बुलाया जाना चाहिएः परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 1881 'धारक' का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर अधिकार रखता है और उसे देय राशि को प्राप्त करना या वसूल करना है। **{1$^{1/2}$ M}**

दिए गए मामलों में उपरोक्त प्रावधान लागू करने पर–

(i) हां, एक्स को धारक के रूप में कहा जा सकता है क्योंकि उसे अपने नाम के कारण कब्जा करने और राशि प्राप्त करने का अधिकार है। **{1/2 M}**

(ii) नहीं, वह धारक 'नहीं है क्योंकि धारक' कहे जाने के कारण उसे न केवल साधन के अधिकार का हकदार होना चाहिए, बल्कि उसमें उल्लिखित राशि भी प्राप्त करनी चाहिए। **{1/2 M}**

(iii) नहीं, M, साधन का धारक नहीं है, हालांकि वह चेक के कब्जे में है, इसलिए अपने नाम पर इसके कब्जे का हकदार नहीं है। **{1/2 M}**

(iv) नहीं, B धारक नहीं है। हालांकि एजेंट को चेक में उल्लिखित राशि का भुगतान प्राप्त हो सकता है, फिर भी उसे धारक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे अपने नाम पर साधन पर मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है। **{1/2 M}**

(v) नहीं, B धारक नहीं है क्योंकि वह साधन के गलत कब्जे में है। **{1/2 M}**

Answer 6:

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(5) के तहत, बैठक के कार्यवृत्त में शामिल नहीं किया जाएगा, किसी भी मामले जो बैठक के अध्यक्ष की राय में:

(i) किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती के रूप में यथोचित माना जा सकता है या नहीं,

(ii) कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक या सारहीन है, या

(iii) कंपनी के हितों के लिए हानिकारक है, **{$2^{1/2}$ M}**

इसके अलावा, धारा 118(6) के तहत, अध्यक्ष उपरोक्त उप–धारा (5) में निर्दिष्ट आधारों पर किसी भी मामले को शामिल किए जाने या शामिल न किए जाने के संबंध में पूर्ण विवेक का प्रयोग करेगा। **{$1^{1/2}$ M}**

इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर, अमित लिमिटेड के एक शेयरधारक, मनोज का विवाद वैध नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष के पास पूर्वोक्त कारणों से मिनटों में किसी भी मामले को शामिल करने या हटाने पर पूर्ण विवेक है। **{1 M}**

Answer:

(b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (8) के तहत, कंपनी की एक बैठक में वोट देने का कोई भी सदस्य, या उसके द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर, समय से चौबीस घंटे पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान हकदार होगा। बैठक शुरू करने और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने के लिए, कंपनी के व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज की गई भविष्यवाणियों का निरीक्षण करने के लिए तय किया गया, ताकि निरीक्षण के इरादे से लिखित में तीन दिनों के नोटिस से कम न हो। कंपनी को दिया गया। **{$2^{1/2}$ M}**

दिए गए मामले में, उचित नोटिस दिया है।

[हालाँकि, इस तरह का निरीक्षण बैठक की शुरुआत के लिए तय समय से 24 घंटे पहले की अवधि के दौरान किया जा सकता है और बैठक के समापन के साथ समाप्त हो सकता है।**][$1^{1/2}$ M] [**इसलिए, उपर्युक्त अवधि के दौरान केवल निरीक्षण कर सकते हैं और बैठक से दो दिन पहले नहीं।**] [1 M]**

Answer:

(c) ''दो या अधिक अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध के रूप में प्रावधान'' धारा 26, : जहां एक अधिनियम या चूक दो या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करता है, तो अपराधी को या तो या किसी के तहत मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी होगा। उन अधिनियमों, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। **{$2^{1/2}$ M}**

इस प्रकार, श्री राम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 7:

(a) अंतरिम लाभांशः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(3) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान या किसी भी समय वित्तीय वर्ष बंद करने से लेकर होल्डिंग अवधि तक अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकते हैं। वार्षिक सामान्य बैठक लाभ और हानि खाते में अधिशेष से बाहर या वित्तीय वर्ष के मुनाफे से बाहर जिसके लिए इस तरह के अंतरिम लाभांश को घोषित करने की घोषणा की जाती है या वित्तीय वर्ष में उत्पन्न मुनाफे से बाहर घोषित करने की तारीख से पहले की तिमाही तक अंतरिम लाभांश। **{1 M}**

हालाँकि, यदि कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान तिमाही के अंत तक नुकसान हुआ है, तो अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले, इस तरह के अंतरिम लाभांश को कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश से अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा। तुरंत तीन वित्तीय वर्षों से पहले। **{1 1/2 M}**

[तत्काल मामले में, TAT Ltd- द्वारा अंतरिम लाभांश तुरंत तीन वित्तीय वर्षों से पहले कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश की तुलना में अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा अर्थात (12+15+18)/3 = 45/3 = 15%].**] [1 1/2 M] [**इसलिए, निदेशक मंडल का वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश का 15% घोषित करने का निर्णय लेने योग्य है।**] [1 M]**

Answer:

(b) (i) दी गई समस्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127(d) में प्रदान की गई अनंतिमता पर आधारित है। कानून के अनुसार जहां लाभांश कंपनी द्वारा घोषित किया जाता है और बकाया राशि और किसी अन्य में कॉल रहती है किसी सदस्य की वजह से राशि, ऐसे मामले में कोई अपराध नहीं माना जाएगा जहां लाभांश को कंपनी द्वारा शेयरधारक से इसके कारण किसी भी राशि के खिलाफ कानूनी रूप से समायोजित किया गया हो। **{1 M}**

प्रश्न में दिए गए तथ्यों के अनुसार, श्री ए के पास 10 लाख अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर हैं। 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया है। लाभांश की ओर 1.20 लाख, जिसमें से रुपये 1 लाख को उसके शेयरों के कारण कॉल मनी की ओर समायोजित किया जा सकता है। रुपये 20,000 का भुगतान उसे नकद या चेक या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है। **{1 1/2 M}**

(ii) **[**धारा 123(5) के अनुसार, लाभांश केवल शेयर के पंजीकृत शेयरधारक को या उसके आदेश या उसके बैंकर को देय होगा।**] [1 M] [**दिए गए मामले में तथ्य यह है कि सुश्री एन, इक्विटी शेयरों के धारक ने शेयरों को श्री आर को हस्तांतरित कर दिया, जिनका नाम 20 मई 2017 को पंजीकृत किया गया था।**] [1 M] [**चूंकि, वे वार्षिक सामान्य में लाभांश की घोषणा से पहले पंजीकृत शेयरधारक बन गए थे। 20 सितंबर 2017 को आयोजित कंपनी की बैठक, इसलिए, श्री आर लाभांश के हकदार होंगे।**] [1/2 M]**

Answer:

(c) एजुसेम जेनिसिस का नियमः एजुडेम जेनेमिक शब्द एक ही तरह या प्रजातियों का है। सीधे तौर पर कहा गया है कि नियम का मतलब है, जहां कोई भी अधिनियम विभिन्न विषयों की गणना करता है, विशिष्ट शब्दों का पालन करने वाले सामान्य शब्दों को उन शब्दों के संदर्भ में माना जाता है, जो उन्हें पहले कहते हैं। सामान्य शब्दों को उसी तरह की चीजों पर लागू करने के रूप में लिया जाना चाहिए जैसे कि पहले उल्लेखित विशिष्ट शब्द जब तक कि कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि एक व्यापक अर्थ का इरादा था। इस प्रकार 'एजुसेडम जेनिसिस' के नियम का अर्थ है कि जहां विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है और इन विशिष्ट शब्दों के बाद, कुछ सामान्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, सामान्य शब्द पहले इस्तेमाल किए गए विशिष्ट शब्दों से अपना रंग ले लेंगे (जैसे) जहां एक अधिनियम में कुत्तों को रखने की अनुमति है, बिल्लियों, गायों, भैंसों और अन्य जानवरों, अभिव्यक्ति 'अन्य जानवरों' में शेर और बाघ जैसे व्यापक जानवर शामिल नहीं होंगे, लेकिन केवल पालतू जानवरों जैसे घोड़े, आदि का मतलब होगा। **{2 M}**

हालाँकि, कुछ नियम / परिस्थितियाँ हैं, जिन पर यह नियम कानूनों की व्याख्या में लागू नहीं किया जा सकता है। 'एजुडेम जेनिसिस' का सामान्य सिद्धांत केवल वही लागू होता है जहां विशिष्ट शब्द समान प्रकृति के होते हैं। जब वे विभिन्न श्रेणियों के होते हैं, तो इन विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करने वाले सामान्य शब्दों का अर्थ अप्रभावित रहता है। ये सामान्य शब्द पहले के विशिष्ट शब्दों से रंग नहीं लेंगे।

फिर से यदि विशेष शब्द पूरे जीनस (श्रेणी) का उपयोग करते हैं, तो सामान्य शब्दों को बड़े जीन को कवर करने के रूप में माना जाता है। **{2 M}**

इसके अलावा, न्यायालयों के पास यह विवेक है कि किसी विशेष मामले में क एजुडेम जेनेरिज के सिद्धांत को लागू किया जाए या नहीं। उदाहरण के लिए, न्यायालय में दक न्यायसंगत और न्यायसंगत 'खंड को, न्यायालय की शक्तियों को पहले पांच स्थितियों में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिसमें न्यायालय किसी कंपनी को बंद कर सकता है।

***